संख्या-124/2019/ 3871 /30-3-19-17बी/2016

प्रेषक,

डा० अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 08 नवम्बर, 2019

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्वीकृत प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22-03-2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार, लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200 के अन्तर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 24.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 12.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या- 29 /2019/935 /30-3-19-17बी/2016, दिनांक 09-04-2019 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में द्वितीय किश्त/अवशेष धनराशि रू0 12.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर कतिपय शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	प्राविधानित धनराशि	द्वितीय किश्त/ अवमुक्त धनराशि
लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-03-मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों तथा/अथवा उनके परिवारों को अनुग्रह भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	0.01	
04-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	24.00	12.00
योग :	**24.01**	-----

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22-03-2019 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग के शासनादेश संख्या-2573एस0पी0/18-07-76(एस0पी0)/86, दिनॉक 08-01-1992, पत्र संख्या-2177/18-07-94-15(एस0पी0)-92 दिनॉक 17-10-94, पत्र संख्या-2275/18-05-98-15(एस0पी0)-92टी0सी0, दिनॉक 07-12-98, पत्र संख्या-708/18-05-98-15(एस0पी0)-92, दिनॉक 08-01-94, पत्र संख्या-2917/18-05-2000-49(एस0पी0)-2000, दिनॉक 20-12-2000 तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर उनके द्वारा जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि टुकड़ों में व्यय किये जाने से बचा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22-03-2019 के प्रस्तर-2(4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत मानक मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता को लेखानुदान अवधि में वित्तीय स्वीकृति विगत वर्ष की यदि कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है, तो उसके समायोजन के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेगी।

5- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 के प्रस्तर-3 में यह निर्देश हैं कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय, से सम्बन्धित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रावधानित धनराशि में से दिनांक 31-03-2020 तक व्यय धनराशि का विवरण शासन/महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7- व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-

(डा० अखिलेश कुमार मिश्र)

विशेष सचिव।

संख्या-124/2019/3871(1)/30-3-2019, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(विनोद कुमार)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।